

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/

दिनांक: २४-२-२०१४

कार्यालय आदेश

वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक प.10(46)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 06.09.2013 के अनुसरण में सेवानिवृत्त/ सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन के कार्य हेतु निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में वर्णित कार्यालय में सेकिन्डमेन्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2014 तक तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम सोले030/ (सर्वश्री)	लिंक नम्बर	वर्तमान पदस्थापन	कार्यालय का नाम जिसके स.ले.अ. पद पर सेकिन्डमेन्ट बेसिस पर कार्य सम्पादित करना है
1	2	3	4	5
1	दिनेश चन्द शर्मा	936	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर

श्री दिनेश चन्द शर्मा को जयपुर शहर का मकान किराया भत्ता एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

अतः श्री दिनेश चन्द शर्मा सहायक लेखाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तुरन्त प्रभाव से विभागीय आदेशों की पालना कर दूरभाष/ फैंक्स के माध्यम से निदेशालय को अवगत करावें, अवहेलना की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

विभागीय आदेश क्रमांक 374/13-14 दिनांक 12.2.14 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद पारीक सहायक लेखाधिकारी का क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर मुख्यालय जयपुर का पेंशन एवं पेंशनर्स विभाग जयपुर में सेकिन्डमेन्ट के आधार पर किया गया पदस्थापन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/8445-54

दिनांक: २४-२-२०१४

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर
3. कोषाधिकारी जयपुर शहर/सचिवालय जयपुर।
4. कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को पेंशन विभाग कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
5. श्री सहायक लेखाधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना में अविलम्ब कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना इस विभाग को भिजवावें।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(क.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)